न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचौर

(पीठासीन अधिकारी हनुमानाराम आर.ए.एस.)

मुकदमा नंबरः– 09/2021

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थी

जेसा पुत्र उकरड़ा जाति ब्राहम्ण
निवासी अणखोल तहसील चितलवाना
जिला सांचौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. गणेशाराम पुत्र धर्मा
2. अमरा पुत्र धर्मा
3. मृतक सांवला पुत्र धर्मा के कायम मुकाम वारिसान
   अ. फरसाराम पुत्र सांवला
   ब. जैसाराम पुत्र सांवला
   स. श्रवणकुमार पुत्र सांवला
   द. हरिराम पुत्र सांवला
   य. ईश्वरलाल पुत्र सांवला
   र. मीरादेवी पुत्री सांवला
   ल. भूरीदेवी बैवा सांवला
4. नगाराम पुत्र सोनाराम
   जातियान ब्राहम्ण
   निवासी अणखोल तहसील
   चितलवाना जिला सांचौर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, आर.टी. आर. एक्ट 1955

उपस्थित::–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जेताराम विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 एक पक्षीय।

निर्णय

दिनांक 27/03/2024

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की भूमि तहसील चितलवाना के ग्राम अणखोल मे आयी हुई है। जो कृषि भूमि है तथा मैं प्रार्थी काश्तकार व्यक्ति हू। खेती कर परिवार का भरण–पोषण करता [illegible] खातेदारी के खेत मौजा अणखोल के खसरा संख्या 638, 639, 640, 641, 642 [illegible] कुल रकबा 6.00 हैक्टर मे से मेरे हिस्से की खातेदारी [illegible] हिस्सा भूमि आयी हुई है। जहां मैं रहवासी घर बनाकर निवास कर रहा हू [illegible] खेती बाड़ी करता [illegible] उसमे आने के लिए खसरा संख्या 786 मे से होकर आवागमन का रास्ता वर्तमान मे भी चल रहा है

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:40:13 IST
Reason: SelfAttested

तथा यह रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। मरे खातेदारी के खेत खसरा संख्या 643 रकबा 1.15 हैक्टर तो अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 786 से लगता हुआ है तथा अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 786 के उतरी सीमा पर पक्की डामर रोड़ चल रही है। जहां मै तथा मेरा परिवार पीढियों से आवागमन करते है। इसलिए मेरे खातेदारी के खेत खसरा संख्या 638, 639, 640, 641, 642, 643 मे आने के लिए खसरा संख्या 786 मे से होकर माफिक नजरी नक्शा 16 फीट चौड़ा रास्ता की मांग करते है तथा उक्त रास्ते के लिए हम रास्ते की मांग को लेकर क्लेम करते है। अतः प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 638, 639, 640, 641, 642, 643 कुल रकबा 6.00 हैक्टर मे से मेरे 1/2 हिस्से मे आने जाने के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 786 मे से माफिक नजरी नक्शा दर्शाये गये मार्ग के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नही है। जहा नजरी नक्शे मे रास्ते की मांग की है वहा सेढा वर्तमान मे मौजूद है। सेढे से लगते भाग पर रास्ते की मांग कर रहे है। जिससे खेत के दो टूकड़े नही हो रहे है तथा खसरा संख्या 786 मे आपसी भाई बंटवाड़ा कर मौके पर जहा सेढा है उससे लगता हुआ माफिक नजरी नक्शा रास्ता मौजूद है। जिसका नियमानुसार मैं राशि अदा करने को तैयार हू। प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ मे नजरी नक्शा, नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपी एवं जमाबंदी संवत् 2070–2073 पेश की। ऐसी स्थिति मे उक्त अनुसार रास्ते की मांग स्वीकार कर रास्ता उक्त प्रयोजन के तहत उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना दिनांक 12.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।
3. प्रार्थी वकील ने दिनांक 07.10.2022 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सांवला फौत हो चुका है जिसके वारीशारान को रेकर्ड पर लिया जावे। जिस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। तथा अप्रार्थी संख्या 3 के स्थान पर उनके वारीशारान को रेकर्ड पर लिया गया। वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र शीर्षक पेश किया गया। तथा अप्रार्थीगण सांवला के कायम मुकाम को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री जेताराम विश्नोई द्वारा दिनांक 27.09.2023 को वकालातनामा पेश किया गया। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिया जावे। अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नही करने पर अप्रार्थीगण का जवाब दिनांक 03.02.2024 को बंद किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.09.2023 को प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की जगह अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य करने से रूकवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 अ ता 3 ल व 4 के रजिस्ट्री एडी तामिलशुदा प्राप्त बाद इन्जार भी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:40:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

4. तहसीलदार चितलवाना से मौका की वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार चितलवाना द्वारा उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया गया कि ग्राम अणखोल के खसरा संख्या 786 मे से मार्क ए से बी रास्ता जो उक्त रास्ता मौका फर्द मे मार्क डी से सी जो पक्की सड़क चलती है से लगता सुविधाजनक है। तथा उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत मे आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता सुविधाजनक नही है। तथा मार्क डी से सी सड़क काफी समय से आसपास की ढाणीयों के लोगो के आने-जाने के रूप मे उपयोग मे ली जा रही है। उक्त प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी की लम्बाई 198 मीटर है। किन्तु प्रस्तावित रास्ता की भूमि मे अप्रार्थीगण द्वारा वर्तमान मे एक छोटी ताजी ओरड़ी बनायी गयी है। तहसीलदार चितलवाना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी है।

5. प्रकरण मे उभय पक्षकरान की बहस सुनी गयी।

6. योग्य प्रार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी के खेत पर जाने का कोई मार्ग नही है। प्रार्थी ने जहा नजरी नक्शे मे रास्ते की मांग की है वहा वर्तमान मे सेढा मौजूद है सेढे से लगते भाग पर रास्ते की मांग की है। जिससे अप्रार्थीगण के खेत के दो टूकड़े नही हो रहे है। तहसीलदार चितलवाना की मौके की रिपोर्ट भी इस तथ्य की ताईद करती है कि नजरी नक्शे मे खसरा संख्या 786 मे से प्रस्तावित रास्ता ए से बी जो पक्की सड़क से लगता है एवं सुविधाजनक है। जिसमे रास्ता करना सर्वथा उचित है।

7. प्रत्युत्तर मे योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस मे तर्क दिया कि प्रार्थी के आवागमन हेतु पूर्व मे ही रास्ता उपलब्ध है तथा अप्रार्थी की भूमि पर से होकर नया रास्ता कायम करने की आवश्यकता नही है।

8. उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न अभिलेखे का अवलोकन किया। विवेचन निम्नानुसार है :-

- यह निर्विवाद है कि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि क्रमशः खसरा संख्या 643 एवं 786 परस्पर सटी हुई है। यह भी निर्विवाद है कि अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 786 का एक हिस्सा पक्की सड़क से मिलता है जो सड़क आवागमन हेतु उपयोग मे आ रही है। यह तथ्य पत्रावली मे संलग्न नक्शे एवं तहसीलदार चितलवाना की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे सशपथ कथन [illegible] कि अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 786 मे से माफिक [illegible] मार्ग के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नही है। तथा [illegible] आराजी पर जाने के लिए कोई रास्ता नही दर्शाया है। तहसीलदार चितलवाना की मौका रिपोर्ट से भी यह जाहिर होता है कि प्रस्तावित [illegible]री नक्शे मे खसरा संख्या 786 मे से

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:40:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना
जिला-सांचौर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

प्रस्तावित रास्ता 'ए' से 'बी' जिसकी लम्बाई 198 मीटर है। जो पक्की सड़क से लगता है। तथा सुविधाजनक है।

- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार चितलवाना की मौका जांच रिपोर्ट पर योग्य अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार से लिखित कथन द्वारा असहमति व्यक्त नही की है। तहसीलदार चितलवाना की यह रिपोर्ट विश्वसनीय है क्योकि इस रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ता ही सुविधाजनक है। प्रार्थी को रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ता 5 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जावे तो भी प्रार्थी को समस्त कृषि प्रयोजनार्थ मार्ग प्राप्त हो जायेगा। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने इससे सहमति व्यक्त की है। अत': प्रार्थी को अप्रार्थी की उक्त भूमि मे से होकर अपनी आराजी मे जाने के लिए उक्तानुसार रास्ता प्रदान करना उचित है।

आदेश

फलतः उक्त प्रमाणित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ग्राम अणखोल के खसरा संख्या 638, 639, 640, 641, 642, 643 कुल रकबा 6.00 हैक्टर मे अपने हिस्से की भूमि पर आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 786 रकबा 8. 04 हैक्टर किस्म जमीन जाव सोयम चाही सोयम मे से तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 04.03.2024 के अनुसार मार्क ए से बी जिसकी लम्बाई 198 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर का नवीन रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते है। इस रास्ता भूमि के प्रार्थी को रास्ते की सुविधा के अलावा अन्य अधिकार अर्जित नही रहेगें। उक्त भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि जरिये डी.डी. के नियमानुसार भुगतान करे। उक्त निर्णय की पालना हेतु तहरीर तहसीलदार चितलवाना को जारी हो, तथा प्रार्थना पत्र विचाराधीन के समय अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त रास्ता की भूमि मे बनायी गयी ओरड़ी को प्रार्थी के आवागमन हेतु हटायी जावे। तथा अप्रार्थीगण उक्त रास्ता स्थान की भूमि पर किसी प्रकार का आवागमन में बाधा कारित न करे व न करावें। सम्बधित बैंक का रहन यथावत रहेगा। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(हनुमाना राम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:40:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना
जिला-सांचोर(राज.)

निर्णय आज दिनांक [illegible] इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना